न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—102/18 (2018/00214) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कंकुदेवी पत्नि देवीलाल गाडरी निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—जगदीश आत्मज कजोड़ जाट निवासी नान्दशा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—हरिश टेलर
2—रामेश्वर लाल जाट

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा के बैरून हल्क आबादी में प्रार्थीया व विपक्षी, व नरेश गौतम आत्मज मदनलाल व पारसी बेवा मदनलाल महाजन के सयुक्त खातेदारी आराजी नम्बर 840 रकबा 0.27 है0 दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा निहित है तथा विपक्षी जगदीश का 3/8 हिस्सा निहित व नरेश गौतम व पारसी का 1/2 हिस्सा निहित है प्रार्थीया ने अपना हिस्सा पूर्व खामेदार जेठमल कोठारी से दिनांक 12.07.2018 को रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका पड़ौस पूर्व विपक्षी जगदीश के द्वारा क्रय सुदा हिस्सा पश्चित में आम रास्ता उत्तर जगदीश जाट दक्षिण नरेश गौतम वगैरा का है उक्त पड़ौसो के मध्य प्रार्थीया की भुमि स्थित जिसका उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है विपक्षी के द्वारा खरीद की गई भूमि के मध्य पत्थरो की दीवार चुनी हुई थी और इससे पूर्व थोर की बाड़ थी विपक्षी के मन में फितुर आने और प्रार्थीया की भूमि को हड़पने की नियत से आये दिन विपक्षी दखदांजी करने लग गया। विपक्षी ने 0.08 है0 भूमि खरीदी है और शेष भूमि रास्ते में छुटी हुई है इस बाबत् विपक्षी ने जेठमल कोठारी को लिखकर भी दिया है किन्तु विपक्षी की नियत में फितुर आने से उक्त रास्ते की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिससे विपक्षी के विरूद्व ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी की और से अधिवक्ता रामेश्वर लाल जाट के द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया विक्रेता खातेदार जेठमल को हिस्सा विशेष की भूमि विक्रय करने का अधिकार नही था और दिनांक 12.07.2018 का आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है। सयुंक्त खातेदारी में हिस्सा ही विक्रय किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 06.10.2017 को पंजीकृत विक्रय पत्र से जेठमल महाजन से प्रार्थीया से पूर्व 3/8 हिस्सा क्रय किया है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में आज दिनांक को विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित नही होने से प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई दिनांक 28.02.2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्तरिम आदेश जारी किया गया था उसकों विपक्षी के द्वारा चेलेन्ज नही किया ओर मूलवाद निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना न्याय हित मे है। इस प्रकार पूर्व दिनांक 28.02.2019 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्व दिनांक 28.02.2019 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम नान्दशा जागीर की आराजी नम्बर 840 रकबा 0.27 है0 भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण स्थायी या अस्थायी नही कर और रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जावें। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.11.2019

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.03 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: